संख्या : 4466/श्रम सेवा/461-श्रम/2002

प्रेषक,

श्री के०एस० दरियाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन शि० एवं प्रौ० विभाग   देहरादून दिनांक 03 दिसम्बर-2002

विषय : वित्तीय वर्ष-2002-03 हेतु जनपद देहरादून के मसूरी नामक स्थान पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5675/डीटीईयू/न०सं०/02-03 दिनांक 27,जुलाई-2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि जनपद-देहरादून के मसूरी क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के तथा के उसमें प्रस्तावित चार ट्रेड में से तीन ट्रेड {फूड प्रोडक्शन छोड़कर} की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, इस हेतु मानक मद सं0-26 मशीनें साज-सज्जा और उपकरण मद में संलग्न-विवरणानुसार {मदवार} आयोजनागत पक्ष में कुल रुपये 38,00,000=00 {रुपये अड़तीस लाख मात्र} की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है, कि इ सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य को यह भी निर्देशित कर दिया जाये कि इकोनोमी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये । उक्त उपकरणों के क्रय में स्टोर परचेज रूल्स का अनुपालन किया जाये । जो उपकरण डी०जी०एस०एन०डी० की दरों पर हैं, उन्हें इन्हीं दरों पर एवं शेष को स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन व्यय किया जाये,और तद्नुसार कार्यवाही करने के उपरान्त शासन को भी अवगत करा दिया जाये । यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के

...2

लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो । व्यय से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है ।

3- उक्त संस्थान हेतु स्वीकृत व्यवसाय, यूनिट तथा प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	इन्फारमेशन टेक्नोलोजी एवं इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेन्टीनेंस	01	16
2.	टूरिज्म गाइड	01	16
3.	वायरमैन/इलैक्ट्रीशियन	01	16

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो शासन को दिनांक 31-3-2003 तक समर्पित कर दी जायेगी ।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2002-03 के अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण, आयोजनागत 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण 26-मशीनें साज-सज्जा उपकरण और संयंत्र, आयोजनागत, 00- के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू०ओ० - 1953/2002 वि०अनु०-3/02 दिनांक 02, दिसम्बर-2002 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(के०एस० हरियाल)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 6488/श्रम सेवा/461-श्रम/2002 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी ।
4. वित्त अनुभाग-3
5. गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से,

(के०एस० हरियाल)